महत्वपूर्ण एवं खास

जम्मू-कश्मीर की चुनौती

दक्षिणी कश्मीर में रविवार को सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की एक संयुक्त कार्रवाई में 13 आतंकवादियों सहित 20 लोग मारे गए। दो जिलों के तीन ठिकानों पर एकसाथ की गई यह कार्रवाई न केवल सरकारी बलों के आपसी तालमेल और मारे गए आतंकियों की संख्या के लिहाज से अहम रही, बल्कि होमवर्क और तैयारी के लिए भी इसे यादगार माना जाएगा। ऑपरेशन से पहले सैन्य बलों को अपने टारगेट की सटीक जानकारी थी। ऑपरेशन के दौरान उन्होंने इसका पूरा ख्याल रखा कि आम नागरिक इसकी जद में न आएं। ऐसे में सेना और सरकार का इसे कामयाब ऑपरेशन बताना बिल्कुल वाजिब है।

लेकिन जम्मू-कश्मीर समस्या के संदर्भ में देखें तो ऐसे ऑपरेशंस तक सीमित दृष्टि हमें सही नतीजों तक नहीं पहुंचा सकती। दरअसल, आबादी के एक बड़े हिस्से की सोच और उसके व्यवहार का हिस्सा बन चुकी किसी भी समस्या को हल करने में ताकत की एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन उसे एकमात्र कारक के रूप में आजमाना समस्या को अक्सर और ज्यादा उलझाने वाला ही साबित होता है। सख्ती के समानांतर बातचीत की प्रक्रिया जारी रखकर ही बल प्रयोग का कोई मतलब निकलता है। समस्या की जड़ बने लोगों को आम आबादी से अलग करने का एक खास जरिया चुनाव भी होता है। अफसोस कि कश्मीर के संदर्भ में न केवल बातचीत का रास्ता लगभग बंद पड़ा है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया के इस्तेमाल की भी कोई खास कोशिश नहीं दिखाई दे रही।

पिछले विधानसभा चुनावों के बाद दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए, जिनमें एक पर अल्प मतदान के बावजूद फारूक अब्दुल्ला ने जीत हासिल की, लेकिन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा खाली की गई सीट अनंतनाग पर मतदान टाल देना पड़ा और वहां चुनाव अब तक नहीं हो पाए हैं। उसके बाद पंचायतों के चुनाव इसी साल फरवरी में होने थे, पर वे भी टालने पड़ गए। ध्यान रहे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अभाव में सिर्फ सैन्य ऑपरेशंस पर निर्भर रहकर हम अपने सैन्य बलों को भी संकट में डाल रहे हैं। मौजूदा हालात में कश्मीर में सेना के प्रयासों को मजबूती तभी मिलेगी, जब वहां किसी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष पंचायती चुनाव संपन्न कराए जा सकें। सैन्य कार्रवाई की सफलता के जोश में इस अहम चुनौती की अनदेखी सरकार को नहीं करनी चाहिए।

अधिकार से आग्रह

अमेरिका की यात्रा के दौरान एक व्यक्ति जहाज में स्वामी रामतीर्थ से ज्ञान-ध्यान की चर्चा करता रहता था। जहाज से उतरते समय उसने सामान्य शिष्टाचार से पूछा, 'आप कहां ठहरेंगे स्वामी जी, समय मिला तो आपसे संपर्क का प्रयत्न करूंगा।'

स्वामी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, 'अमेरिका में मेरा एक ही मित्र है। और वह हैं आप।' यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया।

साथ ही स्वामीजी के आत्मविश्वासपूर्ण सौजन्य से प्रभावित भी कम नहीं हुआ। जब तक स्वामी जी अमेरिका में रहे वह व्यक्ति उनकी मदद करता रहा।

करों में राहत के अंतर्विरोध भी देखें

वर्तमान समय में सरकार के राजस्व दबाव में हैं। इस समस्या से निदान के लिए सरकार द्वारा इनकम टैक्स का विस्तार करने का विचार है और जीएसटी को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के टैक्स होते हैं–पहला प्रत्यक्ष कर या इनकम टैक्स होता है। यह सीधे व्यक्ति द्वारा अर्जित आय से लिया जाता है। इस प्रत्यक्ष कर या इनकम टैक्स को आमतौर पर जनहितकारी माना जाता है, चूंकि यह टैक्स उन्हीं लोगों से वसूल किया जाता है, जिनकी आय ज्यादा होती है। जैसे वर्तमान में जिसकी आय तीन लाख रुपये से ज्यादा होती है, उसे ही केवल इनकम टैक्स अदा करना पड़ता है।

दूसरे प्रकार का टैक्स जीएसटी या अप्रत्यक्ष कर होता है। इसे अप्रत्यक्ष इसलिये कहा जाता है कि यह करदाता को दिखता नहीं है। जैसे आपने यदि हवाई चप्पल खरीदी, उसके ऊपर जीएसटी दिया तो आपको यह स्पष्ट नहीं दिखता कि आपने कितनी रकम टैक्स के रूप में अदा की। आपका मूल ट्रांजेक्शन चप्पल खरीदने का है, न कि टैक्स देने का। इसलिये इसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है।

वर्तमान में सरकार के कुल राजस्व में इनकम टैक्स का हिस्सा मात्र 5 प्रतिशत है। सरकार का प्रयास है कि इसे बढ़ाकर 18 प्रतिशत लोगों को इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाये। जो अमीरतम हैं, वे तो इनकम टैक्स के दायरे में अभी ही हैं। अतः जिन नये लोगों को इनकम टैक्स के दायरे में लाया जायेगा, वह अमीरतम से नीचे अथवा मध्य वर्ग के होंगे। साथ-साथ सरकार का प्रयास है कि इनकम टैक्स की अधिकतम दरों में कटौती की जाये।

उसी के अनुसार कुल राजस्व में जीएसटी का हिस्सा घटेगा, जिसे भी जनहितकारी माना जाता है क्योंकि जीएसटी आम आदमी द्वारा खपत की गई वस्तुओं पर अदा किया जाता है। इस प्रकार इनकम टैक्स में वृद्धि का दो प्रकार से जनहितकारी प्रभाव दिखता है। पहला कि अमीरों द्वारा इनकम टैक्स अधिक अदा किया जायेगा। दूसरा कि आम आदमी द्वारा जीएसटी कम अदा किया जायेगा।

लेकिन गहराई से पड़ताल करने पर इस कदम का प्रभाव कुछ और ही दिखता है। वर्तमान में देश के केवल 4 प्रतिशत लोग जो सबसे ज्यादा अमीर हैं, इनकम टैक्स अदा करते हैं। सरकार का प्रयास है कि इसे बढ़ाकर 18 प्रतिशत हो जाने से इनकम टैक्स की वसूली में वृद्धि की जाये। माना जाता है कि इनकम टैक्स की वसूली में वृद्धि करने का ज्यादा प्रभाव अमीरों पर पड़ेगा, इसलिये इनकम टैक्स की वृद्धि को जनहित कार्य माना जाता है। दूसरी तरफ इनकम टैक्स का हिस्सा 5 प्रतिशत से 18 प्रतिशत हो जाने से चर्चा में रहते हैं। मसलन, उ.प्र. के प्रतापगढ़ जिले में दिसंबर, 2012 में अपहरण और बलात्कार का शिकार बनी नाबालिग को पंचायत ने 50 हजार रुपये मुआवजा देने का फरमान सुनाया। एक दूसरे मामले में राजस्थान के कोटा जिले की एक पंचायत ने अगस्त, 2013 में छह वर्ष की बच्ची को हवस का शिकार बनाने वाले व्यक्ति को अपने दस साल के बेटे से पीड़िता की शादी करने का आदेश दिया। बात पुलिस तक पहुंची तो आरोपी गिरफ्तार हुआ।

बहरहाल, जहां तक दूसरी जाति या धर्म के युवक या युवती से स्वेच्छ से विवाह का मसला है तो न्यायालय चाहता है कि परस्पर सहमति से दूसरी जाति या धर्म के युवक या युवती से विवाह करने वाले युगल दंपति को समुचित सुरक्षा और संरक्षा प्रदान की जाये। झूठी शान की खातिर होने वाली हत्याओं पर पाबंदी लगाने तथा इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान करते हुए विधायिका उचित कानून बनाये।

कसौटी पर कानून

देश में जाति के आधार पर भेदभाव के बर्ताव की खबरें आम रही हैं। इस तरह के सामाजिक बर्ताव से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को संरक्षण देने के लिए बाकायदा कानूनी व्यवस्था है लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसे आरोप लगाए गए कि इन कानूनों का सहारा लेकर कुछ निर्दोष लोगों को भी परेशान किया जाता है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र के एक मामले में सुनवाई के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के दुरुपयोग की शिकायतों के मद्देनजर अब ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले जांच जरूरी होगी और आरोपी को अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है। मामला दर्ज करने से पहले उसके सही होने के आधार के बारे में डीएसपी स्तर का पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा। यही नहीं, अगर आरोपी सरकारी अफसर है तो उसकी गिरफ्तारी से पहले उसके उच्च अधिकारी से अनुमति जरूरी होगी। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग की रोकथाम के मकसद से ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी कानून का लगातार बेजा इस्तेमाल होता हो तो इस तरह की व्यवस्था वाजिब है।

इज्जत के नाम पर क्रूरता नहीं मंजूर

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नारे के बावजूद अभी देश के कुछ हिस्सों में अंतर-जातीय या दूसरे धर्म को मानने वाले से प्यार कर स्वेच्छा से ब्याह रचाने वाले युगलों, विशेषकर युवतियों को जान बचाने के लाले पड़ जाते हैं। अपनी मर्जी से शादी करना प्रत्येक नागरिक का निजी अधिकार है। इसके बावजूद, खाप पंचायतों और समाज के दूसरे स्वयंभू ठेकेदारों की वजह से अक्सर ऐसे नवविवाहित जोड़े या नवविवाहिता की हत्या की खबर सुनने में आती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने शादी के ऐसे मामलों में किसी रिश्तेदार या किसी तीसरे पक्ष और खाप पंचायत या समूह के हस्तक्षेप को गैर-कानूनी करार दे दिया। इस बारे में न्यायालय के सख्त निर्देशों के मद्देनजर प्रेम विवाह करने वाले युगलों पर पहरा बिठाना या उनका किसी प्रकार से उत्पीड़न करना संभव नहीं होगा। अब प्रेम विवाह करने वालों पर जुल्म ढाने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्तियों पर विशेष अदालत में मुकदमा चलेगा। इसका फैसला यथासंभव छह महीने में होगा।

न्यायालय का फैसला आने से एक पखवाड़े पहले ही उ.प्र. के बुलंदशहर जिले के एक गांव में पंचायत के फरमान पर महिला को उसके पति द्वारा सार्वजनिक रूप से चमड़े की बेल्ट से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आयी। महिला का पति, जो पंचायत का पूर्व मुखिया है और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया।

देश के कई हिस्सों में लैंगिक हिंसा के मामलों में पंचायतों के इस तरह के अमानवीय फैसले

ईमेल की खिड़की से अजूबे दृश्य

इधर बहुत डर लग रहा है कहीं मेरी ईमेल का डाटा लीक न हो जाये। ईमेल में ऐसे-ऐसे आइटम हैं, जो कोई देख ले, पता नहीं क्या इमेज बनेगी मेरी। नाइजीरियन प्रिंस की कोई 58 ईमेल पड़ी हैं, जिनमें कहा गया है कि पचास करोड़ रुपये आपके हैं ले जाइये। नाइजीरिया के प्रिंस ने सिर्फ आपके ही लिये निकाल कर रखे हैं, पर पचास करोड़ लेने के लिए पचास हजार रुपये इस खाते में ट्रांसफर करवा दीजिये।

ये मेल किसी को दिख जाये तो लोग क्या सोचेंगे कि ये जितना मूर्ख चेहरे से दिखता है, सच में उससे ज्यादा बड़ा मूर्ख है। बताओ कैसे-कैसे बेवकूफ बनाने वाले मेल इसके पास आते हैं।

अक्लमंदों की इस दुनिया में मूर्खों की तलाश बहुत मुश्किल काम है। कैसे तलाशे जाते हैं मूर्ख। जी फेसबुक से, फेसबुक मूर्खों का अभयारण्य है। फेसबुक पर संदेश आता है कि अगले जन्म में आप क्या बनोगे। यह पता करने के लिए यहां बटन दबायें। इसे क्लिक करें। तीन क्लिकों में आपका सारा डाटा इस सवाल का जवाब देने वाले एप्लीकेशन के पास पहुंच जाता है। फिर जवाब आता है अगले जन्म में आप हेमा मालिनी बनेंगे। इस जन्म में कायदे से खुद भी न बन पा रहे हैं, अगले जन्म में हेमा मालिनी बन जायेंगे। इस जवाब को हासिल करने का जो बहुत खुशी-खुशी इंतजार करे, वह वैसा वाला मूर्ख ही है, जिसे नाइजीरियन प्रिंस पचास करोड़ का आफर कर सकता है।

डरावने आइटम हैं-

एक बार ताकत बढ़ाने वाला दवाओं पर एक लेख लिखने के लिए मैंने इस तरह की दवाओं पर गहरा शोध किया था। गूगल ने समझ लिया कि मैं वैसी दवाओं में नियमित दिलचस्पी रखता हूं। गूगल आप पर वैसी ही नजर रखता है, जैसी आपकी मां की नजर रहती है। गहरी-पैनी नजर है गूगल की। आप जो करते हैं गूगल पर, वह गूगल की स्मृति में दर्ज हो जाता है। एक बार ताकत बढ़ाने की दवा तलाश ली तो रोज ही पचास-सौ आफर ताकत बढ़वाने के आते हैं। मेरी ईमेल कोई चैक कर ले तो गलतफहमी हो सकती है कि इतनी ताकत बढ़ाकर कोई करेगा क्या।

एक बैंक रोज चार मेल भेजता है आप बहुत सम्मानित कस्टमर हैं। अगर हमारे बैंक के कस्टमर बन जायेंगे तो और बहुत सम्मानित हो जायेंगे। मतलब बंदा अपना सिर धुने कि हमारा सारा सम्मान किसी बैंक का कस्टमर होने भर पर निर्भर है।

वास्तु टिप्स

इस तरह घड़ी से बदलें घर की और अपनी किस्मत

ऐसी कहावत आपनी सुनी तो जरुर होगी कि महंगी घड़ी पहन लेने से समय अच्छा समय नहीं आ जाता यानी व्यक्ति के दिन नहीं बदलते लेकिन वास्तु विज्ञान में इस बात का उल्लेख जरूर है कि घड़ी आपका वक्त बदल सकता है यानी घड़ी से आपके दिन अच्छे कर सकता है और समय बिगाड़ भी सकता है। इसलिए घड़ी की अनदेखी न करें और वास्तु विज्ञान के इन नियमों का पालन करें आप देखेंगे कि आपका अच्छा समय खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। वास्तु विज्ञान में उत्तर और पूर्व दिशा को वृद्धि की दिशा माना गया है।

अपने घर में अगर आप दीवार घड़ी लगाते हैं तो इसे उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर लगाएं।

भरोसा जीते सरकार

एससी-एसटी कानून पर अमल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरोध में देशभर के दलित संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का आयोजन किया। दुर्भाग्य से कुछेक जगहों पर इसने हिंसक झड़पों का रूप ले लिया और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। केंद्र सरकार ने सोमवार को ही अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससी-एसटी एक्ट) से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश की समीक्षा के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत अदालत ने महसूस नहीं की। करीब दस दिन पहले ही आए अदालत के निर्देशों पर दलित संगठनों ने गहरी आपत्ति जताई थी। सरकार ने उनकी असुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तभी उनसे संवाद बनाया होता और कोर्ट के निर्णय पर अपना रुख साझा किया होता तो शायद भारत बंद की नौबत ही नहीं आती।

दरअसल मोदी सरकार और समाज के वंचित तबकों के बीच इधर कुछ समय से एक अविश्वास की स्थिति कायम होती जा रही है। दलितों के सवाल पर सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगी

संगठनों से जुड़े नेताओं के रवैये से भी हालात बिगड़े हैं। सबसे पहले रोहित वेमुला प्रकरण से उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव का मसला उठा। इस पर कुछ केंद्रीय मंत्रियों और शिक्षा संस्थानों के आला अधिकारियों का रवैया कमजोर छात्रों के प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय उनको सबक सिखाने का ही दिखा। फिर गाय मारने या उसकी तस्करी का आरोप लगाकर दलितों को प्रताड़ित करने का मामला शुरू हुआ, जो गुजरात में सारी हदें पार गया। इस पर दलितों ने आवाज उठाई, तब भी सत्तारूढ़ दल का रवैया कटुतापूर्ण ही रहा। इस तरह देशभर में दलितों के बीच यह संदेश गया कि मौजूदा सरकार को उनके हितों की कोई परवाह नहीं है। इतना ही नहीं, यह धारणा भी बनी कि सरकार दलितों पर अत्याचार करने वाले अराजक तत्वों को संरक्षण दे रही है।

ऐसे माहौल में एससी-एसटी एक्ट पर अमल का जो खाका कोर्ट के निर्देश से बनता दिखा, उससे उनका आक्रोश भड़क उठा। दरअसल इस कानून को दलित, आदिवासी वर्ग अब तक अपनी एक ताकत के रूप में देखता आया था, जो उसे लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुई थी। इसमें सदियों से चले आ रहे उनके शोषण पर रोक का आश्वासन निहित था। भले ही इसका इस्तेमाल कम होता हो, पर इसकी मौजूदगी उनके लिए एक ढाल का काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुपयोग की आशंका में इसे लगभग निष्प्रभावी बना दिया। देखें, अदालत पुनर्विचार याचिका पर अंततः क्या रुख अपनाती है। लेकिन अभी तो सबसे जरूरी यह है कि केंद्र सरकार दलितों-आदिवासियों को आश्वस्त करे कि पुलिस और दबंग लोगों के हाथों उनके मानवीय अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा।

खाना-खजाना

घर पर तैयार करें मैकरोनी सलाद

कितने लोगों के लिए : 4

सामग्री :

पास्ता मैकरोनी (उबले हुए) - 2 कप
बीन (उबले हुए) - 1/2 कप
गाजर (उबले हुए) - 1/2 कप
खीरा (कटे हुए) - 1
बादाम (टोस्टेड) - 1/4 कप
धनिया पत्ते (कटे हुए) - 1 चम्मच
लो फैट दही -200 ग्राम

विधि :

मैकरोनी सलाद बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन लें और उसके बाद उसमें पानी डालें।अब, पास्ता मैकरोनी डालें और इसे पकाएं। फिर, अलग बर्तन लें और बीन और गाजर को पकाएं। इसके बाद एक अलग बाउल लें और इसमें पका हुआ पास्ता मैकरोनी डालें। भुना हुआ बादाम, बीन, गाजर और दही को इसमें डालें। फिर, बाउल में खीरा को डालें। सभी सामग्री ठीक तरह से मिला लें। इसे धनिया पत्तों से गार्निश कर एक प्लैटर में सर्व करें। आपका मैकरोनी सलाद बनकर तैयार है।